न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–2, सहारनपुर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4874/2022

CNR No. UPSP-01-013287-2022

बबली पत्नी सुनील निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी मुस्कान फाउण्डेंशन नशा मुक्ति आश्रम अमन विहार कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बनाम

राज्य

मु0अ0सं0–308/2022
अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 व
धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट
थाना : कुतुबशेर, जिला सहारनपुर।

24–11–2022

प्रार्थीया/अभियुक्ता बबली पत्नी सुनील निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी मुस्कान फाउण्डेंशन नशा मुक्ति आश्रम अमन विहार कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर की ओर से मु0अ0सं0–308/2022 अन्तर्गत धारा– 304 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट ,थाना बडगॉव जिला सहारनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में हरविन्द्र गुप्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी का भाई पकंज कुमार है , जिसे दिनांक 29.07.2022 को मुसकान नशा मुक्ति केन्द्र में नशे के उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। प्रार्थी जाति चमार हैं दिनांक 12.08.2022 को प्रार्थी के भाई के भाई पंकज कुमार को नशा मुक्ति केन्द्र की संचालिका बबली जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है पत्नी सुनील निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर जाति से जाट है के द्वारा अपने पति व अन्य सहयोगी के साथ मिलकर मेरे भाई की पिटाई की जिस कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी के भाई की पिटाई को नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती ताऊ के लडके बिजेन्द्र ने देखा तथा ऐसा करने से मना किया। उपरोक्त घटना के समय हमे दिनांक 13.08.2022 को समय सुबह करीब 8:00 बे बताया कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब है जब हम यहॉ आये तो मेरे साथ अम्बुज व रमेशचन्द आदि लोग भी आये। जहॉ पर मुझे मेरे भाई का शव मिला व पिटाई के सम्बन्ध में हम लोगो को बिजेन्द्र व पीतम ने बताया। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्ता ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसे उपरोक्त मामले में झूठा अभियुक्त बनाया गया है। वह निर्दोष है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी द्वारा दिनांक 22.08.22 को समय अज्ञात की घटना होना बताया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.08.22 को 8:30 बजे लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 9–10 दिन के विलम्ब से लिखायी गयी है। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया की नशा मुक्ति केन्द्र पर सीसी कैमरे व कुशल स्टाफ की निगरानी में नशा करने वालो की हर तरह से देखरेख की जाती है। मृतक पंकज को नशे की लत होने के कारण फर्श पर गिरकर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। वह जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका स्थायी निवास है। वह अपनी जमानत के लिए उचित जमानती पेश करने को तैयार है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित अधारो पर बहस करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्ता ने वादी मुकदमा के भाई की नशा मुक्ति केन्द्र में अपने पति और सहयोगी के साथ मिलकर मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्ता ने वादी मुकदमा के भाई की नशा मुक्ति केन्द्र में अपने पति और सहयोगी के साथ

Digitally signed by SARLA DUTTA
Date: 2022.11.24 17:42:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मिलकर मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये

मैंने अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता , वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक 21.08.2022 को समय 8:30 बजे अभियुक्ता बबली तथा सुनील तथा एक अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कुतुबशेर पर अन्तर्गत धारा 304 भा0द0सं0 व 3(2)(V) SC/ST एक्ट में मु0अ0सं0 308/ 2022 पंजीकृत कराया गया। केस डायरी में संलग्न मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे उसके शरीर पर तीन एन्टी मोर्टम इंजरी होना अंकित किया गया है तथा मृतक की मृत्यु के कारण में यह अंकित किया गया है कि Died due to shock & haemorrehge as a result of antimortem engery & Viscera preserved for chemical analysis है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त बबली पत्नी सुनील निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी मुस्कान फाउण्डेंशन नशा मुक्ति आश्रम अमन विहार कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर की ओर से मु0अ0सं0–308/2022 अन्तर्गत धारा– 304 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट ,थाना बडगॉव जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4874/2022 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 24–11–2022

(सरला दत्ता)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2,सहारनपुर।